


15-10-24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के वकील अनुपस्थित। आज अदालत समय में रूक-रूक कर तीन बार अलग-अलग आवाजे दिलाये जाने के बावजूद प्रार्थीगण व उनके वकील में से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। अदालत उठने से पूर्व एक बार पुनः आवाज दी गई। फिर भी इनमें से कोई उपस्थित नहीं हुए। इससे जाहिर होता है कि प्रार्थीगण एवं उनके वकील इस प्रकरण में कोई रूची नहीं ले रहे हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का राजस्व आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 02 व आदेश 09 नियम 03 सीपीसी के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
सपखण्ड अधिकारी  
श्रीमन्ना, बाइमेर

